



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN : U40101UP1980SGC005065



संख्या: 295/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2019-3(2)-मा०सं०-04/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० के विभिन्न सेवा संवर्गों की वेतन विसंगतियों का परीक्षण कर संस्तुतियाँ दिये जाने हेतु गठित वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा लेखाधिकारियों के सम्बन्ध में दी गई संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.01.2019 को सम्पन्न 143वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निर्गत पा०का०लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 108-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2019-6-काविनी एवं वे०प्र०/2018 दिनांक 29.01.2019 की अनुरूपता में उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन माध्यम से दिनांक 14.02.2019 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

- 2- निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1303/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2017 दिनांक 01 सितम्बर, 2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 से लागू सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में लेखाधिकारियों को अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के अन्तर्गत देय प्रारम्भिक न्यूनतम वेतन रू० 56100/- पर 2 अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- 3- उपरोक्तानुसार लेखाधिकारियों को सातवें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 में प्रारम्भिक न्यूनतम वेतन स्तर रू० 59500/- अनुमन्य किया गया है।
- 4- लेखाधिकारियों को उक्त 2 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दिनांक 01.01.2016 अथवा अग्रेतर सातवें वेतन आयोग में इस प्रतिबन्धाधीन अनुमन्य होगी कि अनुमन्यता की तिथि से मात्र प्रकल्पित वेतन निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार प्रकल्पित वेतन निर्धारण की तिथि से दिनांक 29.01.2019 के पूर्व तक किसी भी प्रकार के अवशेष की देयता नहीं होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं० 295-(1)-मा०सं०-(04)/उ०नि०लि०/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

शेष पृष्ठ-2 पर...

(2)

4. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/ मलावन(एटा)।
5. महाप्रबन्धक(मा०सं०)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/ईधन/जानपद-नवपरियोजनायें/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 14.02.2019 को परिचालन माध्यम से सम्पन्न हुई बैठक के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि०(01/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/वित्त/लेखा, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
11. उप सचिव (मा०सं०-02), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता(मा०सं०-01/रिफार्म) उ०प्र० रा०वि०उ०नि० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. कट फाइल।

16/02/19

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता(मा०सं०-04)